निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-56/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून के माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव एवं श्री कलवन्त सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं सुश्री सरूनी शर्मा व.लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 19.08.2017 से 29.08.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-I</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सिराज हुसैन एवं श्री प्रवीण कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक.26.10.2016 से 08.11.2016 तक श्री एन.के.सिन्हा वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – प्रिन्स चौक से जोगी वाला रोड के बायी ओर का हिस्सा।

3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	1563.43
2015-16	1657.60
2016-17	2798.98

(ii)(स) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता है।					

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन बजट आवन्टन नहीं प्राप्त होता है। गैर स्थापना राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

वित्त सचिव **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

4. **(V)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह 03/2017 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व

भाग-2 (ब)

प्रस्तर1- अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 0.39 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(vii)(ख) के अनुसार अधिनियम के उपबन्धों के आधीन देय कर, अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया गया है तो देय कर का कम से कम दस प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर दस हजार रुपये तक हों, देय कर पच्चास प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपयें से अधिक हों।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-3 वा.कर. देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि नीचे वर्णित व्यापारियों द्वारा अपना देय कर विलम्ब से जमा किया गया था।

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	क.नि.वर्ष क.नि.तिथि	देय कर का माह	जमा करने की तिथि	धनराशि(₹)	न्यूनतम अर्थदण्ड (10%)₹
1	बिट्टू एजेन्सी	2010-11 02.07.16	I Qtr II Qtr III Qtr IV Qtr IV Qtr	21.08.10 29.11.11 05.02.11 20.12.14 30.05.11	31,980/- 41,168/- 68,682/- 10,000/- 61,267/-	3,198/- 4,117/- 6,868/- 1,000/- 6,127/-
2	रोशन टर्बो सेन्टर	2013-14 09.03.17	IV Qtr	03.06.14	28,047/-	2,805/-
3	अभिषेक एण्ड कम्पनी	2011-12 28.02.17	II Qtr	15.11.11	1,14,472/-	14,447/-
					योग	38,562/-

इस प्रकार उक्त व्यापारियों द्वारा अपना देय कर विलम्ब से जमा करने के कारण न्यूनतम अर्थदण्ड ₹38,562/- आरोपणीय था।

उक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा जांचोपरान्त कार्यवाही किये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

राजस्व

भाग-2 (ब)

प्रस्तर2- कर का न्यूनारोपण ₹1.76 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-4 की उपधारा (2) के कलॉज-(ख)(i)(ई) के अन्तर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के सम्बन्ध में 13.5 प्रतिशत की दर से कर देयता निर्धारित की गयी है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर, (क.नि.) खण्ड-III वा.कर देहरादून की लेखापरीक्षा में कर निर्धारण पत्रावलियों की नमूना जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित व्यापारियों द्वारा वर्ष 2013-14 में सर्जिकल गुड्स की बिक्री की गयी थी एवं जिन पर 5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया थाः-

क्रम सं.	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष तिथि	विक्रीत माल का मूल्य ₹ में	आरोपित कर 5% (₹ में)
1	इण्डियन सर्जिको, देहरादून	2013-14 17.01.17	8,56,110.00	42,806.00
2	सनसाइन मेडिकल स्टोर, देहरादून	2013-14 31.03.17	25,75,752.13	1,23,788.00

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि बिन्दु सं. (i) पर उल्लिखित व्यापारी द्वारा ₹8,56,110.00 मूल्य के सर्जिकल गूड्स की बिक्री की गयी थी जो कि अवर्गीकृत वस्तु है। अतः अवर्गीकृत माल ₹ 8,56,110.00 पर अन्तरीय कर की दर 8.5% की दर से ₹ 72,769.00 की अतिरिक्त कर देयता होगी।

पुनः बिन्दु सं. (ii) पर उल्लिखित व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में (14,16,216.80+2,31,849.00) कुल ₹ 16,48,065.80 मूल्य का माल प्रान्त के बाहर से आयात किया था। उक्त आपत्तित माल में ₹ 12,08,655.92 मूल्य का माल सर्जिकल गूड्स था जो कि अवर्गीकृत वस्तु की श्रेणी में आता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अवर्गीकृत माल ₹ 12,08,655.92 को भी प्रान्तीय दवाइयों की बिक्री (@5%) में सम्मिलित करते हुये कर निर्धारण किया था। अतः उक्त अवर्गीकृत माल ₹ 12,08,655.92 पर अन्तरीय कर की दर 8.5% की दर से ₹ 1,02,736/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा।

अतः उक्त वर्णित दोनों व्योपारियों पर कुल ₹ 1,75,505.00 (₹ 72,769+1,02,736) का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा एवं कर जमा किये जाने की तिथि तक नियमानुसार ब्याज भी देय होगा।

उपरोक्त दोनो बिन्दुओं के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-23/2016-17	01	01,02,03
CT-50/2004-05	01	-
CT-50/2006-07	-	01,02,03,04
CT-50/2007-08	01,02	01
CT-22/2010-11	01,02	01,02,03,04
CT-24/2011-12	-	01,02,
CT-20/2012-13	-	01,02,03
CT-34/2013-14	-	01,02,03
CT-48/2014-15	-	01,02,03,04 (STAN-1)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-**IV**</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-**V**

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती नीलम पाल	असिस्टेन्ट कमिश्नर

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सहायक आयुक्त (क.नि.) खण्ड-3 एवं सी.टी.ओ. देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र